

3 पासत । आवली वास्ते
 10 से 22 असित ।
 जवाब उरि उम । एवं 10 से 22 तक
 पेशा करे वकालतनामा उरि उम
 2 से 9 मे दिनांक 9/5/22 को
 पेशा हो

9/5/22 पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य / स्थानाध्यक्षीन
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक.....को पेश हो
 सीडर 22/5/22
 न्यायलय उफसण्ड अधिकारी मांगरोल जिला वार्ड

22/6/22 पत्रावली पेश डई। वकील करीउने उप.। पत्रावली
 वास्ते जवाब उरि उम । एवं 10 से 22 तक
 पेश करने वकालतनामा उरि उम 2 से 9 मे
 दिनांक 22-8-22 को पेश हो

22/8/22 पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक.....को पेश हो
 सीडर 17/11/22
 न्यायलय उफसण्ड अधिकारी मांगरोल जिला वार्ड

17/11/22 पत्रावली पेश डई। रुक रुक कर तीन बार
 आवाज दिलाई गई। न तो वकील उप. न ही
 पक्षाधायन. ऐसी स्थिति में न्यायालय पत्रावली
 को आगे अंतरकार डायर नही समझल हो।
 अलग वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में
 श्वारिज किया जाला है। पत्रावली जैसल थुमार
 होकर नम्बर से कम ही जावे। निर्णय आज
 दिनांक 17.11.2022 को सरे इजलास सुनाया
 गया।